7

कार्यालय सहारनपुर नगर निगम ;सहारनपुर

सूचना

एततद्वारा सूचित किया जाता है कि ठेकेदार पंजीयन/नवीनीकरण नगर निगम नियमावाली 2010 निम्न सशोंधन नगर आयुक्त/प्रशासक महोदय के स्वीकृति से किये गये ।

1. **पंजीकरण शुल्क**

प्रस्तर 4–श्रेणी	प्रवृत्त पंजीकरण शुल्क	श्रेणी	संशोधित पंजीकरण शुल्क
पेवर कार्य	1,00,000/–	पेवर कार्य	15,000/–
A	50,000/–	A	10,000/–
B	30,000/–	B	5,000/–
C	20,000/–	C	2,500/–
D	10,000/–	D	2,000/–
E	5,000/–	E	1,000/–

प्रथम पंजीकरण एक मान्यता प्राप्त ठेकेदार को आदेश की तिथि से एक वर्ष के लिए मेलिंग लिस्ट में रखे जाने के लिए अधिकृत करेगा।

2. **नवीनीकरण शुल्क**

प्रस्तर 4–3

श्रेणी	प्रवृत्त पंजीकरण शुल्क	श्रेणी	संशोधित पंजीकरण शुल्क
पेवर कार्य	25,000/–	पेवर कार्य	5,000/–
A	20,000/–	A	3,000/–
B	15,000/–	B	2,000/–
C	10,000/–	C	1,000/–
D	5,000/–	D	5,00/–
E	2,500/–	E	2,50/–

यदि प्रथम पंजीकरण की अवधि समाप्त होने अथवा प्रत्येक नवीनीकरण के एक वर्ष के पूर्व नवीनीकरण शुल्क सहित सादे कागज पर आवेदन नहीं किया जाता है तो अवधि समाप्त होने

पर उसका पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा। तथा पुनः पंजीकरण हेतु नया आवेदन पत्र देना होगा। यह वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से 31 मार्च तक मान्य होगी। पंजीकरण/नवीनीकरण धनराशि जमा करने के बाद वापस नहीं की जायेगी। पंजीकरण एवं नवीनीकरण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में होगा जिसकी औपचारिकताएं एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूर्ण कर ली जायेगी।

3. धरोहर राशि

प्रस्तर 4–5

ठेकेदारी प्रथा में माफियों को रोकने हेतु शासन द्वारा जारी आदेशों के क्रम में प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों में कार्यों के साथ धरोहर धनराशि निविदा के साथ एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/के0वी0पी0 जो अधिशासी अभियन्ता नगर निगम सहारनपुर के नाम **बन्धक कर** जमा करना अनिवार्य है। जो कार्य के एक वर्ष तक संतोषजनक रूप से होने के उपरान्त ठेकेदारों को वापस कर दी जायेगी। संशोधन निम्न प्रकार है–

प्रवृत्त धरोहर राशि		संशोधन धरोहर राशि	
1. अंकन 5.00 लाख के कार्य हेतु	अनुमानित धनराशि का 10 प्रतिशत	1. अंकन 40.00 लाख तक के कार्य हेतु	अनुमानित धनराशि का 10 प्रतिशत निविदा के समय ही टैण्डर फार्म के साथ संलग्न की जायेगी।
2. अंकन 5.00 लाख से अंकन 10.00 लाख तक	प्रथम 5.00 लाख पर 10 प्रतिशत तथा अवशेष राशि पर 7.5 प्रतिशत	2. अंकन 40.00 लाख से उपर के कार्य हेतु	5 प्रतिशत निविदा के समय ही टैण्डर फार्म के साथ संलग्न की जायेगी।
3. अंकन 10.00 लाख से उपर के कार्य हेतु	प्रथम 5.00 लाख पर 10 प्रतिशत जमानत राशि और द्वितीय 5.00 लाख पर 7.5 प्रतिशत जमानत राशि तथा अवशेष पर 5 प्रतिशत जमानत राशि देनी होगी।		

4. **स्थाई धरोहर राशि**

प्रस्तर 4–7

उपरोक्तानुसार पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्कों में घटौत्तरी के परिणाम स्वरूप ठेकेदार को पंजीकरण/नवीनीकरण के स्वीकृति के उपरान्त 3 दिन के भीतर स्थाई धरोहर राशि कार्यालय में एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/के0वी0पी0 जो अधिशासी अभियन्ता नगर निगम सहारनपुर के नाम बन्धक कर रखना अनिवार्य है। निम्न प्रकार लागू किया जाना प्रस्तावित है–

पूर्व में लागू स्थाई धरोहर राशि	
पेवर कार्य	–
A	–
B	–
C	–
D	–
E	–

धरोहर धनराशि	
पेवर कार्य	50,000/–
A	20,000/–
B	10,000/–
C	7,500/–
D	5,000/–
E	2,500/–

प्रतिलिपि: अधिशासी अभियन्ता

1. जिलाधिकारी/प्रशासक,सहारनपुर नगर निगम,सहारनपुर ।
2. नगर आयुक्त,सहारनपुर नगर निगम,सहारनपुर ।
3. पंजीकरण लिपिक को इस निर्देश साथ कि सम्बधित सभी को सूचित कर दें ।
4. रिकार्ड कीपर को इस निर्देश के साथ कि उक्त सशोंधन सभी पंजीकन पुस्तिाकाओ मे सलग्न कर ही बिक्री करे ।
5. सूचना पट पर चस्पा हेतु ।

12.05.10
अधिशासी अभियन्ता